न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बरः– 13/1998
निर्णय दिनांकः–25.11.2024
पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. भंवरसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी हरसून्दरपुरा उर्फ हथेली तहसील फागी।
2. नारायणसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी हरसून्दरपुरा उर्फ हथेली तहसील फागी। **(फौत)**
   2/1 श्रीमती छोटू कंवर पत्नि स्व. नारायण सिंह
   2/2 परवत सिंह पुत्र स्व. नारायण सिंह
   2/3 संजू कंवर पुत्री स्व. नारायण सिंह
3. उमरावसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी हरसून्दरपुरा उर्फ हथेली तहसील फागी।
4. लक्ष्मणसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी हरसून्दरपुरा उर्फ हथेली तहसील फागी।
5. नवरतन सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी हरसून्दरपुरा उर्फ हथेली तहसील फागी।
6- फूम कंवर पत्नि भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी हरसून्दरपुरा उर्फ हथेली तहसील फागी। (फौत नाम हजफ)

वादी

बनाम

1. गोरधन सिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी हरसून्दरपुरा उर्फ हथेली तहसील फागी।
2. गोविन्द सिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी हरसून्दरपुरा उर्फ हथेली तहसील फागी।
3. संग्राम सिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी हरसून्दरपुरा उर्फ हथेली तहसील फागी।
4. दशरथ सिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी हरसून्दरपुरा उर्फ हथेली तहसील फागी।
5. बदरी सिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी हरसून्दरपुरा उर्फ हथेली तहसील फागी।
6. रणजीत सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी हरसून्दरपुरा उर्फ हथेली तहसील फागी। (फौत)
   6/1 चांद कंवर पत्नि स्व. रणजीत सिंह
   6/2 नन्द कंवर पुत्री स्व. रणजीत सिंह
   6/3 अर्जुन सिंह पुत्र स्व. रणजीत सिंह
   6/4 बहादूर सिंह पुत्र स्व. रणजीत सिंह
   समस्त जातियान राजपूत निवासीयान हरसून्दरपुरा उर्फ हथेली तहसील फागी।
7. गंगासिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत (फौत)
   7/1 दरयाव कंवर पत्नि गंगासिंह जाति राजपूत (फौत नाम हजफ)
8. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री रवि कुमार जैन अधिवक्ता वादीगण
श्री विनय कुमार जैन अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय दिनांकः–25.11.2024

उपखण्ड अधिकारी
फागी

लगातार.....2

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 47 खसरा नं. 38 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 245 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 365 रकबा 1 बीघा, 489 रकबा 4 बीघा, 587 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 589 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, 591 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 598 रकबा 2 बीघा, 599 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 601 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 603 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 605 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 606 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 653 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा किता 14 रकबा 31 बीघा जिसकी खातेदारी गंगासिंह पुत्र कल्याण सिंह के नाम दर्ज है। खाता सं. 89 के खसरा नंबर 56 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 64 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, 66 / 2 रकबा 16 बिस्वा, 67 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 68 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 69 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, 102 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 107 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 120 रकबा 17 बिस्वा, 121 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 128 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 129 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 130 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 131 रकबा 3 बिस्वा, 132 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 133 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 134 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 135 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 464 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 522 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 523 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 528 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 530 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 531 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 635 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 636 रकबा 2 बिस्वा, 637 रकबा 1 बिस्वा, 293 / 1026 रकबा 5 बिस्वा, 473 / 1048 रकबा 3 बीघा, 473 / 1049 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, 473 / 1050 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 473 / 1052 / 2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 473 / 1053 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 33 कुल रकबा 61 बीघा 16 बिस्वा जिसमें वादी का 1 / 2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 का 1 / 2 हिस्सा दर्ज है। खाता सं. 109 के खसरा नंबर 244 रकबा 12 बिस्वा, 588 रकबा 3 बिस्वा, 590 रकबा 17 बिस्वा, 594 रकबा 10 बिस्वा, 595 रकबा 18 बिस्वा, 496 रकबा 9 बिस्वा, 597 रकबा 7 बिस्वा, 603 / 1029 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 603 / 1030 रकबा 5 बिस्वा, 603 / 1031 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 6 बीघा वाके ग्राम हरसुन्दरपुरा उर्फ हथेली है। जिसकी खातेदारी प्रतिवादी 6 के नाम है। गंगासिंह व वादी सं. 1 पन्नेसिंह के दो पुत्र है गंगासिंह, कल्याणसिंह के गोद चला गया इस प्रकार पन्नेसिंह की सम्पत्ति से गंगासिंह का कोई हिस्सा या संबंध नहीं रहा है। गंगासिंह अकेला कल्याणसिंह की सम्पत्ति का एक मात्र मालिक व वारिस बना। गंगासिंह अपने जीवन काल में कल्याणसिंह की सम्पत्ति पर काबिज है। वादी सं. 1 के पिता पन्नेसिंह ने चाह खसरा नंबर 131 रकबा 3 बिस्वा से पिलाई का 1 / 2 अधिकार वादी सं. 2 लगायत 5 के नाम जरिये रजिस्टर्ड बख्शीश नामा प्रदान कर दिया व आराजी खसरा नंबर 56 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 64, 66, 67, 68, 69, 120, 121, 128, 132, 134, 135, 522, 523, 528, 530, 531, 473 / 1051, 473 / 1052, 473 / 1053 कुल किता 21 रकबा 46 बीघा 10 बिस्वा भी जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामे के प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5 के नाम कर दी तब से प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5 उक्त आराजीयात 46 बीघा 10 बिस्वा पर काबिज है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के पिता श्री गंगासिंह ने अपने जीवनकाल में वादीनी सं. 6 फूमकंवर को दिनांक 28.10.72 को बिल ऐवज 1000 /– रूपये विक्रय कर दिया। इस विक्रय कर दिया। इस विक्रय में गैर मुमकिन चाह ख0नं0 588 व 600 का 1 / 2 हिस्सा आराजी खसरा नंबर 591, 596, 587, 603 / 1030, 603 / 1031, 603, 606 कुल किता 7 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा का कब्जा विक्रयानुसार प्रतिवादीनी सं. 6 का करवा दिया तब से वादिनी सं. 6 काबिज काश्त है चूंकि विक्रय पत्र वेल्यूवेशन के लिए चली गई थी इसलिए विक्रयानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं हो सका। यह विक्रय पत्र दिनांक 18.7.89 को उपपंजीयक को वापस प्राप्त हुआ

उपखण्ड अधिकारी जिला – दूदू

लगातार...............3

था। शेष आराजी खाता सं. 47 में आराजी खसरा नं. 38, 365, 489, 589, 598, 599, 601, 605, 653 में वादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा है। जबकि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी केवल गंगासिंह के नाम है इस संबंध में गंगासिंह व वादी सं. 1 के मध्य राजीनामा भी हुआ था। असल राजीनामा जरिये हाजा पेश है। खाता सं. 89 में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 का नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है यह इन्द्राज गलत है क्योकि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 के पिता श्री गंगासिंह, कल्याणसिंह के गोद चले गये तो पन्नेसिंह की आराजी में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 के पिता का हिस्सा ही नहीं रहा तो विरासत का नामान्तकरण भी पन्नेसिंह की आराजी का प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के नाम नहीं खुलना चाहिए था। खाता सं. 89 में पन्नेसिंह की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण 1/2 हिस्से का भंवरसिंह के नाम व 1/2 हिस्से का नामान्तकरण नानी बाई के नाम हुआ था नानी बाई का वारिस वादी सं. 1 के नाम खुलना चाहिए था। पन्नेसिंह द्वारा हस्तान्तरित की गई आराजी के आलावा शेष आराजी का वादी स. 109 रणजीत सिंह के नाम दर्ज है। रणजीत सिंह को कल्याण सिंह का दत्तक पुत्र बताया है जो गलत है फिर भी राजीनामें के अनुसार वादी सं. 1 खाता सं. 109 में वर्णित आराजी अलावा खं0 नं0 588, 596, 603/1030, 603/1031 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तदानुसार काबिज है। राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन होने के कारण प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 8 ने विवादग्रस्त आराजी समस्त को विक्रय करने का सौदा कर लिया जिसका वादी का दिनां 10.10.89 को पता लगा। यदि प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 ने समस्त आराजी को विक्रय कर दिया तो वादीगण की अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी का वाद कारण दिनांक 1010.89 को उत्पन्न हुआ है जो अवधिकाल में प्रस्ततु है। विवादग्रस्त आराजी व पक्षकारान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 की ओर से अधिवक्ता श्री विनय कुमार जैन ने वकालतनामा व जबाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे वाद पत्र के तथ्यो को स्वीकार करते हुये अतिरिक्त कथंन मे बताया की प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध वादीगण ने बदनियती से प्रस्तुत किया है, वादीगण मान्य न्यायालय में तथ्यों को छुपाकर प्रस्तुत किया गया है, वादीगण मान्य न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नहीं आये, इसलिए वादीगण वाद खारिज फरमाया जावें। क्योंकि वादीगण ने प्रस्तुत वाद में अहम तथ्यों को छुपाया है, वादीगण ने गोद का प्रश्न उठाते हुये भी पूर्णरूप से सीजरा खानदान प्रस्तुत नहीं किया है। प्रस्तुत वाद पत्र में सीजरा से यह जानकारी नहीं मिलती है कि कौन किसके गोद गया है। प्रस्तुत वाद पत्र में वादीगण ने रजि. बख्शीस नामा किता 21 रकबा 46 बीघा 10 बिस्वा का हवाला दिया है एवं इसी प्रकार से ख.नं. 130 बाबत रजि. बख्शीस नामें का हवाला दिया है। लेकिन उक्त बख्शीस नामें नुमायशी तौर पर तैयार वादी सं. 1 ने कराये थे। क्योकि बरवक्त बख्शीसनामा स्व0 पन्नेंसिह की खातेदारी भूमि सिंलिग में जा रही थी सिलिंग से बचने के लिए वादी सं0 1 ने स्व0 पन्नेसिंह को गुमराह कर तैयार करवा ली। जिससे प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 पाबन्द नहीं है। उक्त वख्शीस नामें के आधार पर वादीगण कभी काश्त नहीं की। मद नं0 3 में वर्णित आराजी किता 21 रकवा 46 बीघा 10 बिस्वा में से 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 का कब्जा काश्त नानी बाई के समय से ही चला आ रहा है। विवादीत आराजी का नामानतकरण सं0 295 जब ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया उस समय भी वादी सं0 1 को तथा कथित

लगातार.....4

बख्शीसनामा की जानकारी रही है। उसके बाबजूद भी स्वं0 पन्नेसिंह की आराजी का नामान्तकरण नानीबाई एवं वादी सं0 1 के नाम खोला जाना वादी सं0 1 ने स्वीकार किया। नानी बाई से प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 के नाम नामान्तकरण खोला गया उस समय भी वादी सं0 1 आपत्ति करने को स्वतंत्र था, लेकिन वास्तविक तथ्य यह रह कि नुमायशी बख्शीस नामें को वादी सं0 1 नुमायशी मानता था, क्योकि इसी प्रकार का वख्शीसनामा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 के हक में भी स्वं0 पन्नेसिंह ने कराया था। इसलिए ऐसी नुमायशी बख्शीसनामा के आधार पर किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

वादी व प्रतिवादीगण स्वंय हाजिर अदालत आये तथा राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया तथा अपने राजीनामा मे बताया की ख0न0 365 रकबा 01 बीघा सम्पूर्ण, ख0न0 489 रकबा 04 बीघा मे से 02 बीघा, ख0न0 589 रकबा 07 बीघा 17 बिस्वा मे से 03 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 591 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण, ख0न0 601 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा मे से 02 बीघा 05 बिस्वा, ख0न0 605 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा सम्पूर्ण कुल किता 6 कुल रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा मे वादी सं0 01 भंवरसिंह पुत्र पन्नेसिंह की खातेदारी मे रहेगी तथा ख0न0 38 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा सम्पूर्ण, ख0न0 489 रकबा 04 बीघा मे से 02 बीघा, ख0न0 587 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण, 589 रकबा 07 बीघा 17 बिस्वा मे से 03 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 598 रकबा 02 बीघा सम्पूर्ण, ख0न0 599 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा समपूर्ण, ख0न0 601 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा मे से 04 बिस्वा, ख0न0 603 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा सम्पूर्ण, ख0न0 606 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा समपूर्ण कुल किता 09 कुल रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम हथैली स्थित प्रतिवादी सं0 01 लगायत 5 के खातेदारी मे रहेगी। ख0न0 653 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा मूल खातेदार के रहेगी। खाता सं0 89 के कुल किता 33 के रकबा 61 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम हथेली स्थित वर्तमान मे वादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 के 1/2 – 1/2 हिस्से की खातेदारी रहेगी। खाता सं0 109 की आराजी के सम्बन्ध मे वादी व प्रतिवादी वर्तमान मे कोई राहत नही चाहते है जिसके लिये भविष्य मे वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रहेगे।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर हम वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 47 खसरा नं. 38 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 245 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 365 रकबा 1 बीघा, 489 रकबा 4 बीघा, 587 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 589 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, 591 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 598 रकबा 2 बीघा, 599 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 601 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 603 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 605 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 606 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 653 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा किता 14 रकबा 31 बीघा जिसकी खातेदारी गंगासिंह पुत्र कल्याण सिंह के

लगातार.....5

उपखण्ड अधिकारी फागी

नाम दर्ज है। खाता सं. 89 के खसरा नंबर 56 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 64 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, 66/2 रकबा 16 बिस्वा, 67 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 68 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 69 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, 102 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 107 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 120 रकबा 17 बिस्वा, 121 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 128 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 129 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 130 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 131 रकबा 3 बिस्वा, 132 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 133 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 134 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 135 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 464 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 522 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 523 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 528 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 530 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 531 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 635 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 636 रकबा 2 बिस्वा, 637 रकबा 1 बिस्वा, 293/1026 रकबा 5 बिस्वा, 473/1048 रकबा 3 बीघा, 473/1049 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, 473/1050 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 473/1052/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 473/1053 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 33 कुल रकबा 61 बीघा 16 बिस्वा जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। खाता सं. 109 के खसरा नंबर 244 रकबा 12 बिस्वा, 588 रकबा 3 बिस्वा, 590 रकबा 17 बिस्वा, 594 रकबा 10 बिस्वा, 595 रकबा 18 बिस्वा, 496 रकबा 9 बिस्वा, 597 रकबा 7 बिस्वा, 603/1029 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 603/1030 रकबा 5 बिस्वा, 603/1031 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 6 बीघा वाके ग्राम हरसुन्दरपुरा उर्फ हथेली तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू राजस्थान में स्थित आराजीयात मे से **ख0न0 365 रकबा 01 बीघा सम्पूर्ण, ख0न0 489 रकबा 04 बीघा मे से 02 बीघा, ख0न0 589 रकबा 07 बीघा 17 बिस्वा मे से 03 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 591 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण, ख0न0 601 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा मे से 02 बीघा 05 बिस्वा, ख0न0 605 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा सम्पूर्ण कुल किता 6 कुल रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा मे वादी सं0 01 भंवरसिंह पुत्र पन्नेसिंह को तथा ख0न0 38 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा सम्पूर्ण, ख0न0 489 रकबा 04 बीघा मे से 02 बीघा, ख0न0 587 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण, ख0न0 589 रकबा 07 बीघा 17 बिस्वा मे से 03 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 598 रकबा 02 बीघा सम्पूर्ण, ख0न0 599 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा समपूर्ण, ख0न0 601 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा मे से 04 बिस्वा, ख0न0 603 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा सम्पूर्ण, ख0न0 606 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा सम्पूर्ण कुल किता 09 कुल रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा का प्रतिवादी सं0 01 लगायत 5 को, ख0न0 653 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा मे सम्पूर्ण रकबे का प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 को, खाता सं. 89 के खसरा नंबर 56 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 64 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, 66/2 रकबा 16 बिस्वा, 67 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 68 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 69 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, 102 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 107 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 120 रकबा 17 बिस्वा, 121 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 128 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 129 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 130 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 131 रकबा 3 बिस्वा, 132 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 133 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 134 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 135 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 464 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 522 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 523 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 528 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 530 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 531 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 635 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 636 रकबा 2 बिस्वा, 637 रकबा 1 बिस्वा, 293/1026 रकबा 5 बिस्वा, 473/1048 रकबा 3 बीघा, 473/1049 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, 473/1050 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 473/1052/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 473/1053 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 33 कुल रकबा 61 बीघा 16**

उपखण्ड अधिकारी फागी सत्यमेव जयते जिला – दूदू

लगातार.....6

(6)

बिस्वा मे वादी सं0 1 को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वर्तमान मे खाता सं0 109 की आराजी के सम्बन्ध मे वादी व प्रतिवादीगण ने पूर्व मे चाहा गया अनुतोष खारिज करवा लिया है इसलिये उक्त खाते के खसरा नम्बरान के सम्बन्ध मे पुनः वाद पेश करने हेतु स्वंतन्त्र रहेगे। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार फागी को निदेर्शित किया जाता है कि उक्त निर्णय की पालना बैंक का नो डुयूज प्राप्त होने पर नियमानुसार सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला – दूदू सत्यमेव जयते

25/11/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)
बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

भंवरसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी हरसून्दरपुरा उर्फ हथेली तहसील फागी वगै0।

बनाम

गोरधन सिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी हरसून्दरपुरा उर्फ हथेली तहसील फागी वगै0।

::– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु0न0:– 13/1998

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादीगण श्री रवि कुमार जैन हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री विनय कुमार जैन मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 47 खसरा नं. 38 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 245 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 365 रकबा 1 बीघा, 489 रकबा 4 बीघा, 587 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 589 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, 591 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 598 रकबा 2 बीघा, 599 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 601 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 603 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 605 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 606 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 653 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा किता 14 रकबा 31 बीघा जिसकी खातेदारी गंगासिंह पुत्र कल्याण सिंह के नाम दर्ज है। खाता सं. 89 के खसरा नंबर 56 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 64 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, 66/2 रकबा 16 बिस्वा, 67 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 68 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 69 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, 102 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 107 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 120 रकबा 17 बिस्वा, 121 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 128 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 129 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 130 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 131 रकबा 3 बिस्वा, 132 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 133 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 134 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 135 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 464 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 522 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 523 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 528 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 530 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 531 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 635 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 636 रकबा 2 बिस्वा, 637 रकबा 1 बिस्वा, 293/1026 रकबा 5 बिस्वा, 473/1048 रकबा 3 बीघा, 473/1049 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, 473/1050 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 473/1052/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 473/1053 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 33 कुल रकबा 61 बीघा 16 बिस्वा जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। खाता सं. 109 के खसरा नंबर 244 रकबा 12 बिस्वा, 588 रकबा 3 बिस्वा, 590 रकबा 17 बिस्वा, 594 रकबा 10 बिस्वा, 595 रकबा 18 बिस्वा, 496 रकबा 9 बिस्वा, 597 रकबा 7 बिस्वा, 603/1029 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 603/1030 रकबा 5 बिस्वा, 603/1031 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 6 बीघा वाके ग्राम हरसुन्दरपुरा उर्फ हथेली तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू राजस्थान में स्थित आराजीयात मे से ख0न0 365 रकबा 01 बीघा सम्पूर्ण, ख0न0 489 रकबा 04 बीघा मे से 02 बीघा, ख0न0 589 रकबा 07 बीघा 17 बिस्वा मे से 03 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 591 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण, ख0न0 601 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा मे से 02 बीघा 05 बिस्वा, ख0न0 605 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा सम्पूर्ण कुल किता 6 कुल रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा मे वादी सं0 01 भंवरसिंह पुत्र पन्नेसिंह को तथा ख0न0 38 रकबा 01 बीघा-14 बिस्वा सम्पूर्ण, ख0न0 489 रकबा 04 बीघा मे से 02 बीघा, ख0न0 587 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण, ख0न0 589 रकबा 07 बीघा 17 बिस्वा मे से 03 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 598 रकबा 02 बीघा सम्पूर्ण, ख0न0 599 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा समपूर्ण, ख0न0 601 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा मे से 04 बिस्वा, ख0न0 603 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा सम्पूर्ण, ख0न0 606 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा सम्पूर्ण कुल किता 09 कुल रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा का प्रतिवादी सं0 01 लगायत 5 को, ख0न0 653 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा मे सम्पूर्ण रकबे का प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 को, खाता सं. 89 के खसरा नंबर 56 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 64 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, 66/2 रकबा 16 बिस्वा, 67 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 68 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 69 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, 102 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 107 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 120 रकबा 17 बिस्वा, 121 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 128 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 129 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 130 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 131 रकबा 3 बिस्वा, 132 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 133 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 134 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 135 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 464 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 522 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 523 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 528 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 530 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 531 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 635 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 636 रकबा 2 बिस्वा, 637 रकबा 1 बिस्वा, 293/1026 रकबा 5 बिस्वा, 473/1048 रकबा 3 बीघा, 473/1049 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, 473/1050 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 473/1052/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 473/1053 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 33 कुल रकबा 61 बीघा 16 बिस्वा मे वादी सं0 1 को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वर्तमान मे खाता सं0 109 की आराजी के सम्बन्ध मे वादी व प्रतिवादीगण ने पूर्व मे चाहा गया अनुतोष खारिज करवा

कृ0प0उ0

उपखण्ड अधिकारी
फागी

लिया है इसलिये उक्त खाते के खसरा नम्बरान के सम्बन्ध मे पुनः वाद पेश करने हेतु स्वंतन्त्र रहेगे। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।

निज.....X.....मुबलिग.....X.....बाबत.....X.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह .....X.....फीसदी.....X.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक X .....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25/11/2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत 25/11/24
उपखण्ड अधिकारी

ओहदा फागी

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबुत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

25/11/24
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

सत्यमेव जयते